न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 214/2016

आरसीएमएस 2016/00214

श्योनाथ पुत्र रामू जाति जाट निवासी ग्राम सूरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

हेमराज पुत्र रामू जाति जाट निवासी ग्राम सूरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा

अपील सं0 57/2015 अनवान श्योनाथ बनाम हेमराज

उपस्थितिः—

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 29.06.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए के तहत प्रार्थना—पत्र पेश किया, जिसमें खातेदारी रोही सुरतपुरा के मु0 नं0 166 के किला नं. 13 में प्रवेश के लिए अप्रार्थी की रोही सुरतपुरा के मु0 नं0 ... से किला नं. 11 व 12 में पश्चिम से पूर्वकी तरफ दो किला में एक ... चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:17 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र का खण्डन किया प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना... खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा मु0 नं0

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

166 के किला नं. 1 व 2 में रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भिजवाये गये उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिए अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण की पत्रावली कैम्प कोर्ट सूरतपूरा में नियत करने से पूर्व अपीलांट एवं उसके अभिभाषाक को न तो सूचना दी एवं न ही नोटिस दिया गयां। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में बाला बाला उसकी पीठ के पीछे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है। आईएलआर द्वारा मौका रिपोर्ट एकपक्षीय एवं अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। आईएलआर द्वारा मौका रिपोर्ट के समय कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलांट ने किला नं. 11 व 12 में रास्ता चाहा गया उक्त रास्ता ही मौके पर सदामत से चालु होकर अपीलाण्ट का सुखाचार का अधिकार है। किला नं. 11 व 12 के आगे अपीलाण्ट की ढाणी व कुआ स्थित है जो मोका रिपोर्ट से स्पष्ट है। जाप्ता दीवान के आदेश 20 नियम 4 व 5 के तहत न्यायालयों को निर्णय कारण सहित पारित करना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 (1) आरआरटी पेज 285,, 2016(1) आरआरटी पेज 440, 2010 (3) सीसीसी पेज 374, 2019 (1) आरआरटी पेज 403 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:17 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में [illegible] सूरतपुरा के मु0 नं0 166 के किला नं. 13 में प्रवेश करने का अनुतोष मांगा था। विचारण न्यायालय ने मु0 नं0 166 के किला नं. 1, 2 में रास्ता चालू होने के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है। पत्रावली में दिनांक 25.04.2016 को आगामी तारीख पेशी 10.05.2016 दी गई थी। दिनांक 10.05.2016 को पत्रावली पेशी में नहीं आई पत्रावली दिनांक 22.06.2016 को कैम्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कोर्ट सुरतपुरा में रखी गई एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखने के संबंध में अपीलाण्ट को कोई सूचना नही दी गई। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत पेश हुआ था। जिसमें रास्ते की परम आवश्यकता, रास्ते की उपलब्धता, एवं निकटतम रास्ते के बिन्दूओं पर कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है एवं राजस्थान कास्तकारी (सरकारी) नियम 69 की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निप्रय दिनांक 22.06.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रास्ते के संबंध में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते के संबंध में निर्धारित बिन्दूओं पर तहसीलदार से राजस्थान कास्तकारी (सरकारी) नियम 69 के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/6/22

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:17 IST
Reason: SelfAttested